उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित)
मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ
वई–मेल : hajcommittee.up@gmail.com, shcuplko@rediffmail.com
वेबसाइट: hajcommittee.up.gov.in

पत्रांक : जी–।।/1597 /एस0एच0सी/2026 दिनांक : 19.03.2026

–: प्रेस विज्ञप्ति :–

हज–2026 में जाने वाले हज यात्रियों की हज यात्रा सुगम, सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाने हेतु हज कमेटी आफ इण्डिया ने सकुर्लर–34 दिनांक 18.03.2026 में निम्न निर्देश दिये हैं:–

पासपोर्ट जमा करना– हज–2026 हेतु पासपोर्ट पहले से जमा करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी है तथा निम्न सुझाव दिये गये हैं:–

1. मूल अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखें तथा फ्लाइट बुकिंग हेतु उड़ान स्थल पर पहुंचते समय अपने साथ लायें। यात्रा प्रपत्र उड़ान स्थल पर मूल अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट दिखाने पर उपलब्ध कराया जायेगा।

पासपोर्ट सत्यापन– हज–2026 में जाने वाले यात्री बुकिंग के समय पासपोर्ट जमा करने से पहले निम्न तथ्यों को सत्यापित कर लें:–

1. पासपोर्ट की वैद्यता 31.12.2026 तक होना अनिवार्य है। पासपोर्ट किसी भी रुप में कटा–फटा, पानी धब्बा युक्त व लैमिनेशन नुचा आदि नही होना चाहिए। पासपोर्ट में कम–से–कम दो पन्ने वीज़ा स्टैम्पिंग हेतु खाली होना चाहिए।
2. पासपोर्ट में नाम, फोटो, जन्म तिथि और अन्य विवरण हज आवेदन में उपलब्ध डाटा के अनुरुप हैं यह सुनिश्चित करें।
3. किसी भी विसंगति/डैमेज की स्थिति में सूचना तत्काल उ0प्र0 राज्य हज समिति को समय रहते उपलब्ध करा दें। अन्यथा यात्रा बाधित हो जायेगी।

फ़्लाइट बुकिंग की पुष्टि– हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई द्वारा पोर्टल पर फ़्लाइट बुकिंग सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। बुकिंग उपरान्त जनरेट होने वाली रसीद को अपने पास सुरक्षित रखना होगा। इस रसीद को अपने हस्ताक्षर उपरान्त उड़ान स्थल पर यात्रा प्रपत्र प्राप्त करने के लिये जमा करना आवश्यक होगा।

उड़ान स्थल पर रिपोर्ट करना– जिन हज यात्रियों ने अपनी फ्लाइट बुकिंग पोर्टल के माध्यम से नही करायी है उन्हें 48 घण्टे पूर्व तथा जिन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर फ्लाइट बुकिंग कंफर्म करा ली है उन्हें 24 घण्टे पूर्व अपने लगेज सहित उड़ान स्थल पहुंचना अनिवार्य होगा।

यात्रा प्रपत्रों की चेकलिस्ट– यात्री अपने निवास से उड़ान स्थल पर प्रस्थान करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं की जांच अवश्य कर लें कि उनके पास निम्नलिखित प्रपत्र उपलब्ध हैं:–

1. मूल पासपोर्ट (पुराना और नया, दोनों, यदि वीज़ा पुराने पासपोर्ट पर जारी किया गया हो)।
2. हेल्थ कार्ड/मेडिकल फिटनेस और टीकाकरण मूल प्रमाण पत्र।
3. हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई को विभिन्न चरणों में भुगतान की गयी धनराशि की बैंक रसीद की प्रति।
4. यदि आनलाइन कराया है तो हस्ताक्षरित फ्लाइट बुकिंग कंफर्मेशन रसीद।
5. हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई/उ0प्र0 राज्य हज समिति द्वारा जारी कोई विशेष प्रपत्र।

हज किट प्राप्त करना– हज किट जिसमें स्मार्ट वॉच, आई0कार्ड, वीज़ा, और यात्रा सम्बन्धी अन्य प्रपत्र शामिल हैं, सम्बन्धित उड़ान स्थल से कवर हेड को सभी सदस्यों की ओर से यह किट प्राप्त करना आवश्यक होगा।

यदि कोई हज यात्री किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से प्रपत्र प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है, तो यह कार्य उसके अपने जोखिम पर निर्भर होगा। अधिकृत व्यक्ति को अपना मूल आधार कार्ड, विधिवत हस्ताक्षरित अधिकृत पत्र तथा उपरोक्त प्रपत्र अपने साथ लाना अनिवार्य है।

(एस0पी0 तिवारी)
सचिव/कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी को अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज को मा0 मंत्री जी को अवगतार्थ।
3. मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य हज समिति, लखनऊ।
4. मा0 सदस्यगण, उ0प्र0 राज्य हज समिति, लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, उ0प्र0 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7. समस्त ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त स्टेट हज इंस्पेक्टर, एवं समस्त ट्रेनर, उ0प्र0 ।
9. समस्त ट्रेनिंग सेन्टर/ई–सुविधा केन्द्र, उ0प्र0
10. सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 ।

Digitally signed by
Sheo Prakash Tiwari
Date: 19-03-2026
16:29:08

(एस0पी0 तिवारी)
सचिव/कार्यपालक अधिकारी